12.1.18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी हेतु पेश:-

विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि आराजी ख0नं0 828 रकबा 1.29 हैक्टर गत खसरा नं0 725 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा का पहले अपीलान्ट का पड दादा नन्दाराम काश्त करता था। खसरा गिरदावरी सम्वत 2015, 2016 से 2019 में नन्दा पुत्र श्योराम माली उपकृषक दर्ज है। इस प्रकार अपीलान्ट के पडदादा नन्दाराम का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उससे पूर्व से काबिज था जिसको राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर खातेदारी अधिकार मिल गये किन्तु इस आराजी की खातेदारी गलती से अकेले सूरजमल के नाम कर दी गई जबकि सूरजमल का इस आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं था ।सूरजमल का इस आराजी पर कोई कब्जा नहीं होने से सूरजमल के अधिकार स्वत: ही समाप्त हो गये ।अपीलान्ट के पड दादा की मृत्यु हो चुकी जिसके बाद अपीलान्ट के दादा दुर्गा का कब्जा हो गया । जिसके नाम से लगान की रसीद हैं। नन्दा के चार पुत्र थे । वादी नाहरसिंह बंजरंग, मातुराम व दुर्गादत्त । बजरंग अविवाहित नाऔलाद मौ फोत हो गया । इस प्रकार उक्त आराजी में 1/3

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र
12-1-18	दुर्गादत्त का रहा । दुर्गादत्त के एक वारिस अपीलान्ट का पिता बाबुलाल था जिसकी भी मृत्यु हो चुकी । बाबूलाल के अन्य वारिस इस भूमि में अपना हित नहीं रखते । इसलिए अपीलान्ट अपने पडदादा की आराजी में 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है ।उक्त आराजी में अपीलान्ट 1/3 हिस्से पर काबिज है । अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की आज तक कोई जानकारी नहीं रही। जबकी अपीलान्ट अपने दादा पडदादा का पोत्र होने से इस आराजी में अपना हित रखता है ।नाहरसिंह ने अकेले ने ही दावा कर दिया तथा नन्दाराम के अन्य वारिसों को पक्षकार तक नहीं बनाया। जबकि इस आराजी में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है जिस पर वह काबिज है ।जिसको भविष्य में ओमप्रकाश वगैहर बेदखल कर सकते हैं । इस कारण अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित पक्षकार है । जिसे अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे ।

विद्वान वकील अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को यह अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । जिस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है उसके विरूद्ध तो गोतमनेमानी बनाम मृतक नाहरसिंह आदि अपील पेश की गई । जिसमें अदालत हाजा नेअपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दिया। अदालत हाजा के इस निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में ओमप्रकाश ने अपील पेश की जिसको माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपील स्वीकार कर अदालत हाजा का निर्णय निरस्त कर दिया तथा प्रकरण अदालत हाजा को रिमाण्ड किया कि प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे । इसी दौरान इसी अदालत मातहत के आदेश के विरूद्ध जयकुमार नेमानी एक अपील ओर पेश की । अदालत हाजा द्वारा पूर्व में ही आदेश पारित किया

राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जा चुका है । अब अपीलान्ट को इस न्यायालय में यह अपील पेश करने का कोई हक अधिकार नहीं है अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस का जबाब देते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी ही मुझे अब हुई है । इस आराजी में मैं हित रखता हूँ मुझे अपील पेश करने का अधिकार है मियाद तो मेरी जानकारी से ही मानी जावेगी वह प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया गया है ।अपीलाधीन आदेश प्रभावित रहते हुये रेस्पोडेन्ट मुझे बेदखल कर सकते है ।मुझे अपील लाने का अधिकार है तथा न्यायालय की भी यह जिम्मेदारी है कि वह भी अपील के निस्तारण तक सम्पति की सुरक्षा करें जैसा नजीर आरआरटी 2016(2) पेज 1084 में स्पष्ट किया गया है ।अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील की सुनवाई कर निर्णय गुणावगुण पर किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत नजीरों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट ने आराजी ख0नं0 725 हाल ख0नं0 828 को क्लेम किया है ।जिसके लिये खसरा गिरदावरी में अपने पड दादा नन्दाराम के नाम का अंकन होना बताकर यह अपील धारा-96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र से यह अपील पेश की है ।जबकि अपीलान्ट पडदादा, दादा एवं पिता ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी को कभी भी ~~कोई~~ क्लेम नहीं किया है । निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-3-2002 को अपीलान्ट ने करीब 15 वर्ष बाद प्रभावित पक्षकार के रूप में चुनौती दी है। जिसमें आधार खसरा गिरदावरी बताई है जो रेकार्ड आफ राईट नहीं है। रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी है अपीलान्ट

12-1-18

में आरआरडी 2000 पेज 95 मूें यह स्पष्ट किया गया है कि खसरा गिरदावरी कोई रेकार्ड आफ राईटस् नही है तथा इसके आधार पर कोई खातेदारी अधिकार भी प्राप्त नहीं मिल सकते ।इसी प्रकार आरआरटी 2011﴾1﴿ पेज 436 पेश की है जिसमें भी खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता तथा आरआर डी 1983 पेज-416, आरआरटी 2014﴾2﴿हा0कोर्ट﴿ पेज 1207 में भी खसरा गिरदावरी को रेकार्ड आफ राईटस नहीं माना है । प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट केवल खसरा गिरदावरी में अपने पडदादा नन्दाराम का नाम बताकर उक्त आराजी में अपना 1/3 हिस्सा क्लेम किया है ।दावा दायरी के समय अपीलान्ट का पडदादा, दादा अथवा पिता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं थे । तथा ना ही अपीलान्ट ने अपील के साथ ऐसी कोई साक्ष्य पेश की है । जब अपीलान्ट के दादा, पडदादा अथवा पिता दावा दायरीएवं निर्णय के समय राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है यदि राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के पडदादा, दादा एवं पिता का अंकन होता तो अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार माना जाता । तथा अपीलान्ट के पडदादा, दादा एवं पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त जमीन को क्लेम नहीं किया है जो भी अपने आप में यह दर्शाता है अपीलान्ट विवादित आराजी का प्रभावित पक्षकार नही है ।नन्दाराम के किसी वारिस को खातेदार घोषित किया गया हो ऐसा भी नही है। अपीलान्ट ने राजस्व रेकार्ड को चुनौती दी है जो केवल नियमित वाद में के द्वारा ही सम्भव है ।अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 22-3-2002 के बाबत निर्णय किया जा चुका है जिसमें अपील खारिज की जा चुकी है । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई सन्तोष जनक विधिक आधार दर्ज नहीं किया है जिससे अपीलान्ट

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	माना जावे। अपीलान्ट ने टिनेन्सी का ख0आधार खसरा गिरदावरी होना दर्ज किया है जो प्रस्तुत नजीरों के अनुसार सम्भव नहीं है । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र खारिज होने पर अपील खारिज की जाती है । निर्णय सुनाया गया । 12/1/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	